फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2024/232 बअनवान कपुराराम बनाम अमाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
08/09/25	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता श्री हिम्मत धनेरा उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–02 के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या–02 के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. में उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि वादी ने वादपत्र अपंजीकृत लिखत दिनांक 10.4.1987 को आधार बनाते हुये एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी की मांग की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी का वाद अपंजीकृत बेचाननामा व एडवर्स पजेशन के आधार पर पेश किये जाने पर वादी कोई खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, जिससे वादी का उक्त वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरित वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री हिम्मत धनेरा द्वारा प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता की दलीलो का खण्डन करते हुये दलील दी गई कि ईकरारनामा लिख्त अपंजीकृत होने से वाद खारिज नहीं किया जा सकता। वादी ने एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा खातेदारी चाही है, जिससे वादी का वाद बार्ड बाई लॉ नहीं है। प्रतिवादी संख्या–02 का प्रार्थना पत्र निर्थक होने से खारिज कर प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष का जवाबदावा प्राप्त कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने की दलील दी। दोनो पक्षो की दलीलो एवं आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. में विधि के प्रावधानो पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का भी अध्ययन किया गया। वादी ने अपने उक्त वाद के माध्यम से ग्राम रघुनाथपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 206, 207, 210, 211, 213, 215, 216, 224, 208, 209, 212, 214 कुल खसरा 12 कुल रकबा 4.598 हैक्टर में मोतकी पत्नि मुलाराम का 1/3 हिस्सा एवं वादी का 2/3 हिस्सा वर्णित करते हुए मोतकी का 1/3 हिस्सा दिनांक 10.04.87 के लिखत के जरीये खरीद करने से तथा सम्पूर्ण भुमि पर वादी का कब्जा काश्त होने से 1/3 हिस्से में दर्ज सहखातेदार का नाम विलोपित करते हुए सम्पूर्ण वादग्रस्त भुमि का खातेदार घोषित किए जाने की मांग की परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2074–2077 में दर्ज इन्द्राज अनुसार ग्राम रूगनाथपुरा के खसरा न0 206,207,210,211,212,213,216,224 कुल खसरा 8 कुल रकबा 3.12 हैक्टर वादी कपुराराम पुत्र जसा के नाम से दर्ज होना तथा ग्राम रूगनाथपुरा के खसरा न0 213/1, 214, 215, 224/1 कुल खसरा 4 कुल रकबा 1.55 हैक्टर प्रतिवादी सं0 2 राजुराम पुत्र कुकाराम के नाम खातेदारी दर्ज होना प्रमाणित है। इस प्रकार भुमि पृथ्क–पृथ्क दर्ज होते हुए संयुक्त खातेदारी का वाद में ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए वाद पेश किया है, जबकि प्रस्तुत जमाबंदियो में जमा इन्द्राज के अनुसार वादी को ग्राम रूगनाथपुरा के खसरा न0 206, 207, 210, 211, 212, 213, 216, 224 कुल खसरा 8 कुल रकबा 3.12 हैक्टर की घोषणा के लिए किसी वाद की आवश्यकता नही रहती है अब चूंकि वादी ने संयुक्त खातेदारी वर्णित करते हुए वाद पेश किया है, जिस वाद में प्रतिवादी द्वारा भी कोई एतराज अपने प्रार्थना पत्र में नही किया है। प्रतिवादी पक्ष ने अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. में उजर यही लिया है कि राजस्थान के काश्तकार अधिनियम में अपंजीकृत बेचाननामा व एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी हक प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किए जाने की	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म में जारी

दलील दी है। इस प्रकार आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वर्णित प्रावधानो के अनुसार वादी का उक्त वाद विधि वर्जित होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादी अधिवक्ता आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा ग्राम रघुनाथपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 206, 207, 210, 211, 213, 215, 216, 224, 208, 209, 212, 214 कुल खसरा 12 कुल रकबा 4.598 हैक्टर के 1/3 हिस्से में दर्ज प्रतिवादी सं0 2 के नाम को विलोपित कर वादी के नाम घोषणा खातेदारी के लिए प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

कपूराराम पुत्र जसाजी जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अमाराम पुत्र बगदाराम जाति मीणा निवासी खागडी तहसील सुमेरपुर
2. राजुराम पुत्र कुकारामजी निवासी गोदावास तहसील पाली
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2024/232

वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी द्वारा ग्राम रघुनाथपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 206, 207, 210, 211, 213, 215, 216, 224, 208, 209, 212, 214 कुल खसरा 12 कुल रकबा 4.598 हैक्टर के सबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08/07/25 को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) ★

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner